8/11/22 | पत्रावली पेश हुई वकालतनामा प्रार्थी / पत्रावली वास्ते अवलोकन किया जावे पुनः पेश हो / अवलोकन दिनांक 28/11/22 को पेश हों

28/12/22 | पत्रावली पेश हुई / प्रार्थी पत्रावली अवलोकन हेतु जाये पुनः पेश हो / पत्रावली का अवलोकन किया गया दस्तावेजों का परिशीलन किया गया व रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया / ग्राम खवासपुरा के खसरा नम्बर 165, 166, 140 के प्रार्थी खातेदार नहीं हैं एवं सह खातेदार कायम नहीं है एवं

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (जोधपुर)

रीख म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एवं प्रार्थी समस्त प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर सिद्ध करने में विफल रहा है। प्रार्थीगण उक्त विवादित खसरा है या नहीं ये मूलवाद से सिद्ध होगा, तब तक अप्रार्थीगणों को भूमि से अपने हक व अधिकारों से वंचित नहीं रख सकते हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर अप्रार्थीगण अपना प्रार्थना पत्र सिद्ध करने में असफल रहे हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना अन्तर्गत धारा 212 R.T. Act खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] से जमा हो।	
	सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)	